# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः 42/2021/आवेदन 136 एलआरएक्ट

गोरधन पुत्र स्व. सांवरमल उर्फ श्रवण जाति जाट निवासी मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

1 तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 पटवारी, पटवार हल्का मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति–

**1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थी की ओर सें।**

**2. अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।**

**नि र्ण य** **दिनांक – 21.02.2022**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मण्ढा (मदनी) पटवार हल्का मण्ढा (मदनी) गिरदावर हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या नया 114 के वर्तमान ख.नं. 1089, 1424, 1528, 1529, 1529/2269, 1530, 1531, 1532, 1592, 1594 ता 1602, 1743, 1744 कुल किता 20 कुल रकबा 12.79 हैक्टर, खाता संख्या नया 115 के वर्तमान ख.नं. 1633, 265, 265/2213, 319 कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर, खाता संख्या नया 116 के वर्तमान ख.नं. 1526 कुल किता 1 रकबा 0.60 हैक्टर अवस्थित है। जिनके पुराने ख.नं. 710, 711, 708, 732, 733, 736, 882, 883 है। उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी के पिता स्व. सांवरमल उर्फ श्रवण के नाम से जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार दर्ज है। खाता संख्या 114 में 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 115 में 1/6 व खाता संख्या 116 में 1/2 हिस्सा श्रवण पुत्र खांगा के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

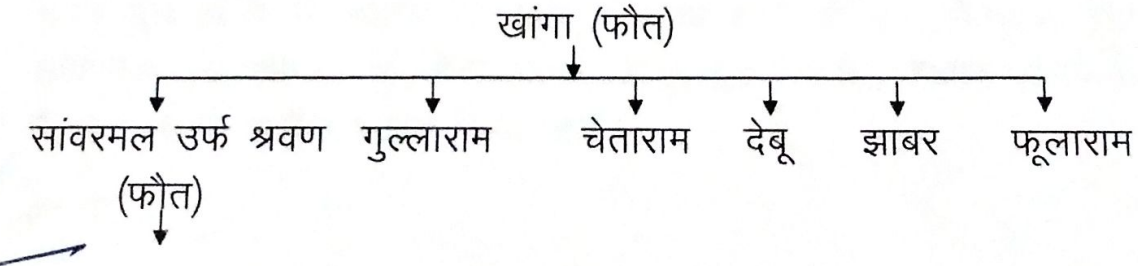


उपखण्ड अधिकारी

| गोरधन | गोपाल | भगवानी | कोशल्या | सुमन | मीरा |
|---|---|---|---|---|---|
| पुत्र | पुत्र | पत्नि | पुत्री | पुत्री | पुत्री |

प्रार्थी के पिता स्व. सांवरमल का स्वर्गवास दिनांक 11.11.2020 को ग्राम मण्ढा (मदनी) में हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थी के दादा खांगा की मृत्यु लगभग 31–32 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रार्थी के दादा खांगा की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरण सजरा खानदान के अनुसार स्व. खांगा के सभी वारिशों पुत्रों के नाम से दिनांक 24.12.79 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 342 को तस्दीक कर खोला गया। प्रार्थी के पिता का सही नाम व अन्य सभी दस्तावेजों मे सांवरमल है, लेकिन घरेलु निक नेम श्रवण था तथा हल्का पटवारी ने उक्त निक नेम से ही नामान्तरण अंकन कर दिया। जिससे जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कृषि भूमि खाता संख्या नया 114, 115, 116 वर्तमान वर्णित मद संख्या 1 की कृषि भूमि की जमाबन्दी श्रवण पुत्र खांगा गलत दर्ज हो गया। प्रार्थी उक्त गलत नाम के स्थान पर अपने पिता का सही नाम सांवरमल पुत्र खांगा अंकन करवा कर राजस्व रिकार्ड में शुद्व करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता का नाम चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कृषि भूमि खाता संख्या 599 व 113 के राजस्व रिकार्ड में भी सांवरमल पुत्र खांगा दर्ज है, जो सही नाम है। गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर गलत प्रभाव पडता है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर ख.नं. 1089, 1424, 1528, 1529, 1529/2269, 1530, 1531, 1532, 1592, 1594 ता 1602, 1743, 1744 कुल किता 20 कुल रकबा 12.79 हैक्टर, व भूमि ख.नं. 1633, 265, 265/2213, 319 कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर, तथा भूमि ख.नं. 1526 कुल किता 1 रकबा 0.60 हैक्टर वाके ग्राम मण्ढा (मदनी) पटवार हल्का मण्ढा (मदनी) गिरदावर हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण पुत्र खांगा के स्थान पर प्रार्थी के पिता का सही व वास्तिविक नाम सांवरमल पुत्र खांगा दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

आवदेन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण पुत्र खांगा के स्थान पर प्रार्थी के पिता का सही व वास्तिविक नाम सांवरमल पुत्र खांगा दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में अकंन किया कि प्रार्थी के पिताजी का नाम मुताबिक जमाबन्दी श्रवण पुत्र खांगाराम दर्ज है जबकि इसी ग्राम की अन्य जमाबन्दीयों में सावरमल पुत्र खांगाराम दर्ज है तथा प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्रवण व सांवरमल एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये है। श्रवण पुत्र खांगाराम के स्थान पर सांवरमल पुत्र खांगाराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **अतः प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1089, 1424, 1528, 1529, 1529/2269, 1530, 1531, 1532, 1592, 1594 ता 1602, 1743, 1744 कुल किता 20 कुल रकबा 12.79 हैक्टर, व भूमि ख.नं. 1633, 265, 265/2213, 319 कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर, तथा भूमि ख.नं. 1526 कुल किता 1 रकबा 0.60 हैक्टर वाके ग्राम मण्ढा (मदनी) पटवार हल्का मण्ढा (मदनी) गिरदावर हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण पुत्र खांगा के स्थान पर प्रार्थी के पिता का सही व वास्तिविक नाम सांवरमल उर्फ श्रवण पुत्र खांगाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/2/22

**(राजेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ**

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ